न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 352/2025

श्री मखनलाल पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर, निवासी देसूसर, तहसील व जिला झुंझुनूं
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।
——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 11.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 352/2025 पर दिनांक 27.08.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4023—24 दिनांक 28.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/सू0अ0/अपील/2025/903 दिनांक 10.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री मखनलाल पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर, निवासी देसूसर के आवेदन पर इस कार्यालय के पत्र कमांक भू0अ0/सू0अ0/2025/1949 दिनांक 08.09.2025 द्वारा सूचना संबंधित को जरिये पंजीकृत पत्र भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक रीडर/सू0अ0/अपील/2025/903 दिनांक 10.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री मखनलाल पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर, निवासी देसूसर के आवेदन पर इस कार्यालय के पत्र कमांक भू0अ0/सू0अ0/2025/1949 दिनांक 08.09.2025 द्वारा सूचना संबंधित को जरिये पंजीकृत पत्र भिजवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही है जिसके कारण अपीलार्थी को सूचना दी जानी संभव नही है जिसके संबंध मे अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं